



2026:AHC:129486

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 21575 वर्ष 2026

ओमवीर आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : राय साहब यादव, सूर्य प्रकाश यादव

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना सहावर, जनपद कासगंज में पंजीकृत वाद अपराध संख्या 119 वर्ष 2026, धारा 109(1), 191(2), 191(3), 190, 221, 126(2), 121(1), 132, 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमे में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. दिनांक 14.04.2026 की घटना के संबंध में दिनांक 15.04.2026 को वाद अपराध संख्या 119 वर्ष 2026 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें 36 नामजद एवं 10-15 अज्ञात व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया। आरोप है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस के उनके क्षेत्र से गुजरने के समय अभियुक्तगणों ने उपद्रव किया। यह भी आरोप है कि अभियुक्तों द्वारा पत्थरबाजी की गई, जिसके परिणामस्वरूप दो आरक्षियों को गंभीर चोटें आईं। घटनास्थल से 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शेष अभियुक्त वहां से भागने में सफल रहे।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है, तथापि विवेचना अधिकारी द्वारा उसे अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। आज तक उक्त वाद अपराध संख्या में आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने इस तथ्य पर विशेष बल दिया कि अधिकांश सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे पुलिस कर्मियों को लगी चोट वर्तमान आवेदक द्वारा कारित होना आरोपित किया जा सके। सह-अभियुक्तगण, अर्थात् अजीत, उदयवीर एवं कुलदीप को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा क्रमशः दिनांक 22.05.2026, 26.05.2026 एवं 29.05.2026 को पारित आदेशों द्वारा, आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 17732 वर्ष 2026, 18077 वर्ष 2026 एवं 18733 वर्ष 2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। उक्त जमानत आदेशों की प्रतियां सामूहिक रूप से जमानत प्रार्थना-पत्र के संलग्नक संख्या-7 के रूप में संलग्न की गई हैं। इन परिस्थितियों में आवेदक जमानत पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रिहा किए जाने का अधिकारी है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का प्रबल विरोध किया।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं तथा किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है। वर्तमान आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, यद्यपि विवेचना के दौरान बाद के चरण में उसका नाम प्रकाश में आया। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि आज तक विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवादित घटना उस समय की है जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती का जुलूस उस क्षेत्र से होकर गुजर रहा था जहां अधिकांश अभियुक्त निवास करते हैं। यद्यपि यह निर्विवाद है कि दो आरक्षियों को चोटें आईं, तथापि अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त चोटें वर्तमान आवेदक द्वारा कारित की गई थीं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार, 36 नामजद अभियुक्तों में से 21 अभियुक्तों को पूर्व में ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
7. अपराध की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, संभावित दण्ड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय विचारित मत का है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार स्थापित कर दिया है। तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में संलिप्त आवेदक-**ओमवीर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी अपराध का, जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है, न तो स्वयं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य के लिए वाद नियत होगा और गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, उस दिन वह स्थगन की प्रार्थना नहीं करेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आवश्यक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप

से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि पर्याप्त कारण के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बिना वह अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (जिसके समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 269) के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (जिसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है तथा यदि वह उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (जिसके समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 209) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा—(1) वाद के उद्घाटन के समय, (2) आरोप निर्धारण के समय, (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (जिसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351) के अंतर्गत उसका कथन अभिलिखित किए जाने के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में इन अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी अनुपस्थिति को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 29 जून, 2026

टी एस

Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।